बंधक रखे प्लॉटस को अवैध रूप से बेचने पर कॉलोनाईजर पर EOW में FIR दर्ज

- ग्राम बजरंग पालिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर स्थित "श्री श्याम विहार कॉलोनी" के विकासकर्ता मेसर्स राज बिल्डकॉन को दिनांक 26.12.2020 को विकास अनुमति प्रदाय की गई थी।
- कॉलोनी के कुल 39 भूखंड विकास अनुमति की शर्तों के अंतर्गत कलेक्टर कॉलोनी सेल, इंदौर (म.प्र. शासन) के समक्ष बंधक रखे गए थे।
- जांच में पाया गया कि कॉलोनी के संबंध में कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ था तथा बंधक भूखंडों को विमुक्त कराए बिना ही कुछ भूखंडों का विक्रय किया गया।
- बंधक भूखंड क्रमांक 14 एवं 15 को मेसर्स राज बिल्डकॉन के संचालक राधेश्याम मुजाल्दे द्वारा तथा बंधक भूखंड क्रमांक 153 को भूमि स्वामी फर्म मेसर्स श्याम कृपा रियलिटी के संचालक अर्जुन सिंह राजपूत द्वारा विक्रय किया गया।
- जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों को यह ज्ञात था कि उक्त भूखंड मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्वाधीन एवं बंधक हैं, इसके बावजूद कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विक्रय पत्र निष्पादित किए गए।
- बंधक संपत्ति के अवैध विक्रय से स्वयं को सदोष लाभ एवं मध्यप्रदेश शासन को सआशय सदोष हानि कारित करने के साक्ष्य पाए गए।

प्रकरण में मेसर्स राज बिल्डकॉन के संचालक राधेश्याम मुजाल्दे एवं भूमि स्वामी फर्म मेसर्स श्याम कृपा रियलिटी के संचालक अर्जुनसिंह राजपूत एवं अन्य के विरुद्ध बी.एन.एस. 2023 की धारा 318, 336, 338, 340 एवं 61 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।